निर्वाचन विभाग
राजस्थान जयपुर

क्र.स.: –प. निजी/आचु2018/254-382 जयपुर, दिनांक:– 12/11/18

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निर्वाचन विभाग राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलेक्टर्स)।

विषय:– विधानसभा आम चुनाव–2018 के दौरान मतदान केन्द्रों पर वालिंटियर्स स्काउट/गाइड की नियुक्ति के क्रम में दिशा निर्देश।

संदर्भ:– भारत स्काउट एवं गाइड राजस्थान का पत्रांक 5618 दिनांक 22.10.18 एवं विभाग का पत्रांक 6436 दिनांक 25.09.18 एवं 184 दिनांक 08.10.18

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधानसभा आम चुनाव 2018 में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2–2 वालिंटियर्स स्काउट/गाइड लगाये जाने है। इन वालिंटियर्स द्वारा किये जाने वाले कार्य व दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है–

क. नियुक्ति

1. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2 वालिंटियर्स (स्काउट/गाइड) की नियुक्ति की जाए। उपलब्धता के अनुसार 1 स्काउट व 1 गाइड की नियुक्ति की जा सकती है।
2. स्वयंसेवक 01.01.2018 के पश्चात 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा होगें।

ख. प्रशिक्षण

1. आयुक्त, स्काउट एवं गाइड द्वारा सभी जिला प्रभारियों को विडियो कोन्फ्रेसिंग अथवा अन्य माध्यम में सम्पूर्ण प्रकिया हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहेगें।
2. जिला प्रभारी, स्काउट एव गाइड (C.O.) द्वारा जिले की सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए विधानसभा प्रभारियों (स्काउट एवं गाइड) का चिन्हीकरण कर उनका प्रशिक्षण भी किया जाए।
3. विधानसभा प्रभारियों द्वारा प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/ स्काउट एवं गाइड प्रभारी के माध्यम से स्काउट एवं गाइड को प्रशिक्षण दिया जाए।

www.rajteachers.com

ग. कार्य / कर्त्तव्य

1. मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ होने से 1 घंटे पूर्व स्वयंसेवक उपस्थित होगें एवं मतदान समाप्ति तक उपस्थित रहेगें।
2. मतदान केन्द्र पर स्वयंसेवक मुख्यद्वार से मतदान कक्ष तक वृद्धजन, दिव्यॉग मतदाताओं को लाने एवं वापिस छोड़ने में सहयोग करेगें।
3. मतदान केन्द्र पर स्वयंसेवक अपनी स्काउट / गाइड की युनिफार्म में रहेगें।
4. मतदान केन्द्र पर भीड़ अधिक होने पर मतदाताओं को पंक्तिबद्ध खड़े करने छाया में बिढान तथा आवश्यकता होने पर टोकन वितरण में सहयोग करेंगे।
5. मतदान केन्द्र पर अधिक भीड़ होने पर दिव्याग एवं वृद्धजन मतदाताओं को निर्धारित स्थान पर बैठाकर मतदान कराने में सहयोग करना।
6. संबधित पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव मे आवश्यक सहयोग करायेगें।

घ. अन्य

1. इन स्वयंसेवकों को जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अन्य मतदान कर्मियों की भांति अल्पाहार की व्यवस्था की जावेगी। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 464/INST-PAY/2014-EPS दिनाक 28.02.2014 के अनुसार पेक्ड लंच / रिफ्रेशमेंट / भुगतान आदि की कार्यवाही की जाये।
2. जिला प्रभारी, स्काउट एव गाइड (C.O.) द्वारा उपलब्ध करायी गयी वालिंटियर्स की सूची के अनुसार मतदान केन्द्रवार ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई जावेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर रिर्पोट ईमेल आई.डी addl.ceo.j@gmail.com and sveepraj@gmail.com पर दिनांक 14.11.2018 तक प्रेषित करावें।

(सुभाष दानोदिया)
वित्तिय सलाहकार
निर्वाचन विभाग

क्र.स. –प. निजी / आचु2018 / जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. स्टेट चीफ कमिश्नर (स्काउट्स) राजस्थान, जयपुर।
3. अति0 निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं स्वीप नोडल अधिकारी (समस्त), राजस्थान।

www.rajteachers.com

वित्तिय सलाहकार
निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर